महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद की 36 वीं बैठक दिनांक 16.05.2008 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 36वीं बैठक दिनांक 16-05-2008 को मध्याह्न 12.00 बजे बृहस्पति भवन सभागार में आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुयेः-

<u>उपस्थिति</u>

1. प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति, अध्यक्ष
2. प्रो. एस.एन. सिंह, समाज विज्ञान संकायाध्यक्ष एवं इतिहास विभागाध्यक्ष, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
3. प्रो. सतीश अग्रवाल, प्रबन्ध अध्ययन संकायाध्यक्ष एवं संयोजक-प्रबन्ध अध्ययन अध्ययन बोर्ड, म. द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
4. प्रो. सर्वेश पालरिया, विज्ञान संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष रिमोट सैंसिंग एवं जियो इन्फॉर्मेटिक्स तथा संयोजक-रिमोट सैंसिंग एवं जियो इन्फॉर्मेटिक्स अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
5. डॉ. अंजना भार्गव, ललित कला संकायाध्यक्ष, संगीत विभाग, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर
6. डॉ. (श्रीमती) चित्रा अरोड़ा, संयोजक-दर्शनशास्त्र अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
7. डॉ. हासो दादलानी, संयोजक-सिन्धी अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
8. श्रीमती पुष्पा गुप्ता, संयोजक- संस्कृत अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
9. डॉ. शांतीलाल बिहाणी, संयोजक- इतिहास अध्ययन बोर्ड, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा, भीलवाड़ा
10. प्रो. आर.पी. जोशी, संयोजक, राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन अध्ययनय बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
11. डॉ. नरोत्तम जयपाल, संयोजक- समाजशास्त्र अध्ययन बोर्ड, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर
12. प्रो. एम.एल. छीपा, संयोजक- अर्थशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं बिज़नस इकॉनोमिक्स अध्ययन बोर्ड, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
13. डॉ. ओ.पी. छीपा, संयोक भूगोल अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
14. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, संयोजक- जनसंख्या अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष जनसंख्या अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

15. प्रो. के.सी. शर्मा, संयोजक- पर्यावरण विज्ञान अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष पर्यावरण अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

16. प्रो. के. के. शर्मा, संयोजक- प्राणिशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

17. प्रो. एस.के. माहना, संयोजक- वनस्पति शास्त्र अध्ययन बोर्ड, विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

18. प्रो. (श्रीमती) जी.के. कोहली, संयोजक- गृह विज्ञान अध्ययन बोर्ड एवं संयोजक- खाद्य एवं पोषण अध्ययन बोर्ड, विभागाध्यक्ष खाद्य एवं पोषण विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

19. डॉ. आर.एस. अग्रवाल, संयोजक- ए.बी.एस.टी. अध्ययन बोर्ड, राजकीय एस.डी. कॉलेज, ब्यावर

20. डा. सीताराम गुप्ता, संयोजक- व्यावसायिक प्रशासन अध्ययन बोर्ड, उपाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा, टोंक

21. डॉ. वी.जी. जादव, संयोजक- शिक्षा अध्ययन बोर्ड, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

22. डॉ. एस.एस. यादव, संयोजक- विधि अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, पाली

23. डॉ. उमा जोशी, संयोजक- मनोविज्ञान अध्ययन बोर्ड, सोफिया कॉलेज, अजमेर

24. डॉ. दिनेश कुमार मिश्रा, संयोजक-जीव विज्ञान एवं जैन दर्शन अध्ययन बोर्ड, राजकीय बांगड़ कॉलेज, पाली

25. डॉ. के.जी. ओझा, संयोजक-रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड, अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड, भेषजकीय रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड, विभागाध्यक्ष रसायन एवं अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

26. डॉ. अजय सिंह रूहेल, संयोजक-शारीरिक शिक्षा अध्ययन बोर्ड, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

27. प्रो. बी.पी. सारस्वत, संयोजक-आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड एवं उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय अध्ययन बोर्ड तथा विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

28. डॉ. एन.एल. शर्मा, संयोजक-हिन्दी अध्ययन बोर्ड, प्राचार्य, के.डी.जैन कन्या महाविद्यालय, किशनगढ

29. डॉ. अनुराग शर्मा, संयोजक-अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड, डी.ए.वी. कॉलेज, अजमेर

30. डॉ. नीरज भार्गव, संयोजक- कम्प्यूटर साइंस अध्ययन बोर्ड एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन अध्ययन बोर्ड तथा विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

31. प्रो. भरत राम कुम्हार, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

32. डॉ. शेर सिंह दौचाणिया, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

33. प्रो. एल.सी. खत्री, भूगोल विभाग, समाज विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

34. श्री एन.के. शर्मा, कुलसचिव-सदस्य सचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके

1. श्रीमती माया बंसल, कला संकायाध्यक्ष, प्राचार्या, कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा
2. श्री जी.एस. मित्तल, संयोजक- भूगर्भ शास्त्र अध्ययन बोर्ड, राजकीय बांगड महाविद्यालय, डीडवाना
3. डॉ. एन.के. सोनी, संयोजक- गणित अध्ययन बोर्ड एवं एप्लाइड मैथमैटिक्स अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, नागौर
4 डॉ. विनीता माथुर, संयोजक- संगीत अध्ययन बोर्ड, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर
5. डॉ. लक्ष्मीकान्त व्यास, संयोजक- राजस्थानी अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
6. डॉ. डी.पी. अग्रवाल, संयोजक- योग विज्ञान एवं मानव चेतना अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
7. डॉ. राम जयसवाल, संयोजक- ड्रॉइंग एण्ड पेन्टिंग अध्ययन बोर्ड, संयुक्त निदेशक, भारतविद्या अध्ययन संकुल, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
7. डॉ. आशीष भटनागर, संयोजक- सूक्ष्मजीव विज्ञान अध्ययन बोर्ड एवं बायोटैक्नॉलोजी अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
8. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ
9. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मेडता सिटी,
10. प्राचार्य, राजकीय एम.एल.वी. कॉलेज, भीलवाडा
11. डॉ. आर.एम. शर्मा, विभागाध्यक्ष, व्यावसायिक वित्त एवं अर्थशास्त्र विभाग, जे.एन.वी. विश्वविद्यालय, जोधपुर

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. डॉ0 जगराम मीणा, परीक्षा नियंत्रक,अजमेर

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने माननीय सदस्यों को विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर भगीरथ सिंह का परिचय कराया एवं साथ में ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. भरत राम कुम्हार का भी परिचय कराया। इसके उपरान्त माननीय कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अनुसंधान परक विकास के लिए सहयोग की अपेक्षा की और यह भी अपेक्षा की कि हम विश्वविद्यालय के अधिनियम परिनियम, अध्यादेश एवं विनियमों के अनुसार ही विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति का कार्य करेंगे। शिक्षा के विकास शिक्षा की प्रासंगिकता और शोध की सार्थकता के लिए विभिन्न प्रकार के संकायाध्यक्षों, संयोजकों एवं अधिकारियों को जो जिम्मेदारी नियमों में प्रदान की गई है उसे सही प्रकार से निभाने की व्यवस्था करने का प्रयास कियास जाएगा। सभी उपस्थित सदस्यों का परिचय होने के बाद विद्या परिषद् की कार्यसूची पर विचार विमर्श आरम्भ हुआ।

मद संख्या	विवरण	संबंधित अनुभाग
मद सं. 1	विद्या परिषद् की दिनांक 25-05-2007 को सम्पन्न हुई 35वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्र. एफ-13(35)/शैक्षणिक-८/मदसविवि/2007/8946-96 दिनांक 20.06.2007 को प्रेषित की गई थी।	शैक्षणिक
निर्णय	**विद्या परिषद की बैठक दिनांक 25.05.2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।**	
मद सं.2	दिनांक 25-05-2007 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना। (मुख्य कार्यसूची का परिशिष्ट-I)	
निर्णय	विद्या परिषद् की 35वीं बैठक दिनांक 25.05.2007 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्न प्रेषणों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया :	शैक्षणिक
	<u>निर्णय सं. 2.3.18 पर प्रेक्षण</u> जिन महिला महाविद्यालयों में परीक्षार्थियों की संख्या 200 हो और वे परीक्षा केन्द्र बनाए जाने के अन्य प्रावधानों की पूर्ति करते हों, तो ऐसे महिला महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बना दिया जाए।	परीक्षा
	<u>निर्णय सं. 2.7 पर प्रेक्षण</u> रिसर्च बोर्ड पर डॉ. शेर सिंह दौचाणिया, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को सदस्य नामित किया जाए।	शोध
	<u>निर्णय सं. 2.12 पर प्रेक्षण</u> स्नातक स्तर पर प्रारम्भिक कम्प्यूटर के अनिवार्य प्रश्न-पत्र की परीक्षा सत्र 2008-09 पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा के अनुरूप ली जावे।	परीक्षा
	<u>निर्णय सं. 5 (क),(ख),(ग) पर प्रेक्षण</u> दिनांक 6.5.2006 को कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के तत्वावधान में परीक्षात्मक सुधारों पर आयोज्य सिम्पोज़ियम की अनुशंषाओं को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को भेजकर उनके विचार अविलम्ब आमन्त्रित किए जाएं। महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव और प्रो.के.के. शर्मा समिति की 11.1.2007 को सम्पन्न हुई बैठक की अनुशंषाओं पर विचार करने हेतु कार्यशाला का आयोजन अगस्त 2008 में किया जाए और कार्यशाला की अनुशंषाएं प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाएं।	परीक्षा

	निर्णय सं. 5 (घ) पर प्रेक्षण निर्णय किया कि, विभिन्न अध्ययन बोर्डों के संयाजकों को पेपर सैटर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाए। आगे से पेपर सैटर के पास निम्नांकित गाइड लाइन्स भी भेजी जाए कि - (अ) जब एक विषय की किसी भी परीक्षा के लिए पेपर सैटर प्रश्नपत्र निर्माण कर रहा है उस वर्ष की उस विषय की किसी भी परीक्षा में उसका कोई सगा-सम्बन्धी, जिससे उसका खून का रिश्ता हो यदि प्रविष्ठ हो रहा है तो वह पेपर सैट न करे एवं उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न करे। (ब) परीक्षक चयन समिति द्वारा परीक्षकों का पैनल तैयार करते समय अध्ययन बोर्ड के संयोजक सुनिश्चित करे कि पैनल में जिस परीक्षक का नाम रखा है वह परीक्षक कहीं से डिबार न हो। (स) यदि संकायाध्यक्ष, संयोजक, अध्ययन बोर्ड और अध्ययन बोर्ड द्वारा परीक्षक चयन समिति के लिए नियुक्त सदस्य उस स्थिति में परीक्षक चयन समिति के सदस्य नहीं हो सकेंगे जब उस वर्ष की उनके विषय से सम्बन्धित किसी भी परीक्षा में उनका कोई सगा-सम्बन्धी जिससे उनका खून का रिश्ता हो, बैठ रहा हो। विधि अध्ययन बोर्ड के संयोजक डॉ. सुरेन्द्र यादव के पुत्र द्वारा इस वर्ष की एल.एल.एम. परीक्षा में बैठने के कारण डॉ. यादव ने विधि अध्ययन बोर्ड के संयोजक के दायित्व को छोड़ने की घोषणा की, जिसे विद्या परिषद् ने स्वीकार किया। कुलपति महोदय विद्या परिषद् के निर्णय संख्या 5(घ) दिनांक 25.5.2007 के सम्बन्ध में वर्ष 2007-08 की परीक्षाओं में अध्ययन बोर्डों के संयोजकों द्वारा प्रश्नपत्रों के निर्माण का परीक्षा नियन्त्रक से पूरा लेखा जोखा मंगाकर यह आश्वत हो लें कि क्या विशेष परिस्थिति में ही कुलपति महोदय के आदेश प्राप्त करके संयोजकों से प्रश्नपत्र का निर्माण परीक्षा नियन्त्रक ने कराया है।	**परीक्षा**
	निर्णय सं. 6 पर प्रेक्षण परीक्षा विभाग के स्तर पर होने वाली त्रुटियों के लिए दण्ड का प्रावधान बनाए जाने हेतु गठित समिति की बैठक अविलम्ब आयोजित की जाए।	**परीक्षा**
	निर्णय सं. 8.4 पर प्रेक्षण निदेशक (शोध) इस निर्णय के अनुसार अध्यादेश का प्रारूप कुलपति महोदय को प्रस्तावित करें और निर्णयानुसार अध्यादेश प्रबन्ध बोर्ड की अगली बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाए।	**शोध**
	निर्णय सं. 9 (ख) पर प्रेक्षण प्राणिशास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित और ड्रॉइंग एण्ड पेन्टिंग अध्ययन बोर्डों के संयोजक सात दिवस की अवधि में प्रो. माहना समिति द्वारा दी गई अनुशंषाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को संशोधित कर उपलब्ध करावें।	**शैक्षणिक**
	निर्णय सं. 14 पर प्रेक्षण मद संख्या 14 में *'पाठ्यक्रम मण्डल'* को *'अध्ययन बोर्ड'* लिखा जाए।	**शैक्षणिक**

मद सं. 3

मान्नीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेश का अभिलेखन एवं पुष्टि करना :-

शैक्षणिक

(1) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम की धारा 2(1)2 के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय द्वारा निम्नलिखित संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश प्रदान किए गए। तद्नुसार नियुक्त संकायाध्यक्षों के नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय आदेश प्रसारित किए गए हैं :

क्र.सं.	नियुक्त संकाय अध्यक्ष का नाम	संकाय एवं अवधि	कार्यालय आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	प्रो. एस.एन. सिंह राजनीति विज्ञान विभाग, मदसविवि, अजमेर	समाज विज्ञान दिनांक 18.07.2008 तक अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो	13404 दिनांक 16.07.2007 (परिशिष्ठ-प्)
2.	प्रो. सतीश अग्रवाल प्रबन्ध अध्ययन विभाग, मदसविवि, अजमेर	प्रबन्ध अध्ययन 2 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो ।	13404 दिनांक 16.07.2007 (परिशिष्ठ-प्)
3.	श्री बलवीर प्रसाद लोठ प्राचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, पाली	वाणिज्य दिनांक 18.07.2008 अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो	16336-565 दि 20.08.2007 (परिशिष्ठ-प्प्)
4.	डॉ. संतोष शर्मा प्राचार्या, आई.ए.एस.ई., अजमेर	शिक्षा दिनांक 1.09.2007 से 2 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो	1619-1847 दि 21.09.2007 (परिशिष्ठ-प्ट)
5.	प्रो. सर्वेश पालरिया विभागाध्यक्ष, रिमोट सेंसिंग विभाग, मदसविवि, अजमेर	विज्ञान दिनांक 21.09.2007 से 2 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो	1849-2077 दि 21.09.2007 (परिशिष्ठ-ट)

निर्णय

माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की पुष्टि की गई।

शैक्षणिक

(2) <u>प्रतिवेदन है कि</u> निम्नांकित महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार महाविद्यालय के नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों में तथा अंकित कार्यालय आदेश के माध्यम से प्रदान की गई :

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	विषय/पाठ्यक्रम	स्थायी सम्बद्धता का सत्र
1.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाड़मेर	बी.ए.	2005-06 से
2.	श्री वर्धमान कन्या महाविद्यालय, ब्यावर	बी.ए. व बी.कॉम	2007-08 से
3.	दयानन्द आर्य बालिका महाविद्यालय, ब्यावर	बी.ए. व बी.कॉम.	2007-08 से

निर्णय

माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि की गई।

शैक्षणिक

(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u>, निम्नांकित महाविद्यालयों को नवीन सम्बद्धता माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार महाविद्यालय के नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय आदेश के माध्यम से प्रदान की गई :

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	नवीन सम्बद्धता का सत्र	नवीन सम्बद्धता का पत्रांक एवं दिनांक
1.	श्री खेतेश्वर बी.एड. कॉलेज, नादड़ी, जोधपुर	बी.एड.	2007-08	28933 30.11.2007
2.	श्री आर.सी. मेमोरियल टी.टी. कॉलेज,	बी.एड.	2007-08	29156

	मारवाड़ जं., पाली			30.11.2007
3.	सज्जन टी.टी. कॉलेज, पाली	बी.एड.	2007-08	29115 30.11.2007
4.	जी.एस. जांगिड़ टी.टी. कॉलेज, गंगाना, जोधपुर	बी.एड.	2007-08	29305 1.12.2007
5.	एस.के. ग्रीनवुड टी.टी. कॉलेज, डीडवाना	बी.एड.	2007-08	29197 30.11.2007
6.	शांतीनाथ विद्या भारती टी.टी. कॉलेज, जालौर	बी.एड.	2007-08	19366 19.09.2007
7.	कस्तूरबा गांधी महिला टी.टी. कॉलेज, जैतारण, पाली	बी.एड.	2007-08	19448 19.09.2007
8.	टैगोर टी.टी. कॉलेज, कुचामनसिटी, नागौर	बी.एड.	2007-08	19489 19.09.2007
9.	महिला टी.टी. कॉलेज, पाली	बी.एड.	2007-08	19407 19.09.2007
10.	बालासतीजी महिला टी.टी. कॉलेज, अजमेर	बी.एड.	2007-08	14295 23.07.2007
11.	डॉ. अम्बेडकर टी.टी. कॉलेज, टोंक	बी.एड.	2007-08	14249 23.07.2007
12.	नारायणा शि.प्र. महाविद्यालय, परबतपुरा, अजमेर	बी.एड.	2007-08	13431 14.03.2008
13.	श्री औंकारसिंह मेमोरियल महिला टी.टी. कॉलेज, कोटड़ा, अजमेर	बी.एड.	2007-08	13389 14.03.2008
14.	अग्रवाल गर्ल्स टी.टी.कॉलेज, मेड़तासिटी,नागौर	बी.एड.	2007-08	13826 17.03.2008
15.	महेश महिला टी.टी. कॉलेज, बाड़मेर	बी.एड.	2007-08	8831-32 18.02.2008
16.	महिपाल शिक्षण संस्थान, तिवरी, जोधपुर	बी.एड.	2007-08	8831-32 18.02.2008
17.	देवकन्या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, देवली, टोंक	बी.एड.	2007-08	10126 21.02.2008
18.	पं. जे.पी. उपाध्याय टी.टी. कॉलेज, टोंक	बी.एड.	2007-08	9818-23 20.02.2008
20.	माडीदेवी मेमोरियल बी.एड. कॉलेज, रियांबड़ी, नागौर	बी.एड.	2007-08	9818-23 20.02.2008
21.	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी मानव हितकारी संघ, राणावास, पाली	बी.एड.	2007-08	9818-23 20.02.2008
22.	श्री राधाकृष्णन टी.टी. कॉलेज, कुचामनसिटी, नागौर	बी.एड.	2007-08	9818-23 20.02.2008
23.	सरस्वती टी.टी. कॉलेज, पाली	बी.एड.	2007-08	10040 21.02.2008
24.	माधव कॉलेज, लाडनूं, नागौर	बी.ए.,बी.कॉम व बीसीए	2007-08	28505 27.11.2007
25.	महर्षि दाधीच महाविद्यालय, आसीन्द, भीलवाड़ा	बी.ए.	2007-08	290.74 30.11.2007
26.	परमहंस स्वामी माधवानन्द कॉलेज, जाडन, पाली	बीएससी-यौगिक साइंस डीवाईएचएस	2007-08	21560 3.10.2007
27.	पार्श्वनाथ जैन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज, वरकाना, रानी, पाली	बीसीए	2007-08	17222 22.08.2007
28.	इंदिरा प्रोफेशनल संस्थान, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा	बीसीए व एम.एससी-आई.टी.	2007-08	17261 22.08.2007
29.	डीडवाना महिला महाविद्यालय, डीडवाना	बी.ए.	2007-08	19813

				3.07.2007
30.	राजकीय महाविद्यालय, जैतारण, पाली	बी.ए.	2007-08	
31.	मदरलैण्ड महाविद्यालय, टोंक	बीसीए व पीजीडीसीए	2007-08	8693 दि. 16.02.2008
32.	राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा	एलएलबी व डीएलएल	2006-07	13377 14.03.2008
33.	राजकीय विधि महाविद्यालय, पाली	एलएलबी	2006-07	13371 14.03.2008
34.	राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर	एलएलबी	2006-07	13374 14.03.2008
35.	राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर	एलएलबी, डीएलएल व डिप्लोमा इन क्रिमिनॉलोज		13474-75 14.03.2008
36.	आशापूर्णा विधि महाविद्यालय, जालौर	एलएलबी	2007-08	18060 27.08.2007

नोट : क्रम सं. 32 से 35 तक के राजकीय विधि महाविद्यालयों को वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, किन्तु छात्रहितों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त महाविद्यालयों को अस्थायी सम्बद्धता व छात्रों की परीक्षायें विश्वविद्यालय द्वारा ली जा रही है । बी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विधि महाविद्यालयों की है, राज्य सरकार को भी इस बाबत् निवेदन किया गया है कि सम्बन्धित विधि महाविद्यालयों को बीसीआई से अनुमोदन शीघ्र प्राप्त करने के लिये निर्देशित करें ।

निर्णय

माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों में से क्रमांक 32 से 34 की पुष्टि अपवादस्वरूप की गई। राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर ने चूंकि सत्र 2006-07 की सम्बद्धता के लिए आवेदन नहीं किया है। अतः आदेश की पुष्टि नहीं की गई। शेष की पुष्टि की।

(4) प्रतिवेदन है कि, निम्नांकित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषयों एवं पाठ्यक्रमों में नए विषय/पाठ्यक्रम संचालित करने की अस्थाई सम्बद्धता माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार महाविद्यालय के नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय आदेश के माध्यम से प्रदान की गई : **शैक्षणिक**

क्र. सं.	**महाविद्यालय का नाम**	**पाठ्यक्रम**	**नवीन सम्बद्धता का सत्र**	**नवीन सम्बद्धता का पत्रांक एवं दिनांक**
1	श्री खेतेश्वर बी.एड. कॉलेज, नादड़ी, जोधपुर	बी.एड.	2007-08	28933 30.11.2007
2	श्री आर.सी. मेमोरियल टी.टी. कॉलेज, मारवाड़ जं., पाली	बी.एड.	2007-08	29156 30.11.2007
3	सज्जन टी.टी. कॉलेज, पाली	बी.एड.	2007-08	29115-30.11.07
4	जी.एस. जांगिड़ टी.टी. कॉलेज, गंगाना, जोधपुर	बी.एड.	2007-08	29305 1.12.2007
5	एस.के. ग्रीनवुड टी.टी. कॉलेज, डीडवाना	बी.एड.	2007-08	29197 30.11.2007
6	शांतीनाथ विद्या भारती टी.टी. कॉलेज, जालौर	बी.एड.	2007-08	19366 19.09.2007
7	कस्तूरबा गांधी महिला टी.टी. कॉलेज, जैतारण, पाली	बी.एड.	2007-08	19448 19.09.2007
8	टैगोर टी.टी. कॉलेज, कुचामनसिटी, नागौर	बी.एड.	2007-08	19489 19.09.2007
9	महिला टी.टी. कॉलेज, पाली	बी.एड.	2007-08	19407 19.09.2007
10	बालासतीजी महिला टी.टी. कॉलेज, अजमेर	बी.एड.	2007-08	14295 23.07.2007

11	डॉ. अम्बेडकर टी.टी. कॉलेज, टोंक	बी.एड.	2007-08	14249 23.07.2007
12	नारायणा शि.प्र. महाविद्यालय, परबतपुरा, अजमेर	बी.एड.	2007-08	13431 14.03.2008
13	श्री औंकारसिंह मेमोरियल महिला टी. टी. कॉलेज, कोटड़ा,	बी.एड.	2007-08	13389 14.03.2008
14	अग्रवाल गर्ल्स टी.टी.कॉलेज, मेड़तासिटी,नागौर	बी.एड.	2007-08	13826 17.03.2008
15	महेश महिला टी.टी. कॉलेज, बाड़मेर	बी.एड.	2007-08	8831-32 18.02.2008
16	महिपाल शिक्षण संस्थान, तिवरी, जोधपुर	बी.एड.	2007-08	8831-32 18.02.2008
17	देवकन्या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, देवली, टोंक	बी.एड.	2007-08	10126 21.02.2008
18	पं. जे.पी. उपाध्याय टी.टी. कॉलेज, टोंक	बी.एड.	2007-08	9818-23 20.02.2008
20	माडीदेवी मेमोरियल बी.एड. कॉलेज, रियांबड़ी, नागौर	बी.एड.	2007-08	9818-23 20.02.2008
21	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी मानव हितकारी संघ, राणावास, पाली	बी.एड.	2007-08	9818-23 20.02.2008
22	श्री राधाकृष्णन टी.टी. कॉलेज, कुचामनसिटी, नागौर	बी.एड.	2007-08	9818-23 20.02.2008
23	सरस्वती टी.टी. कॉलेज, पाली	बी.एड.	2007-08	10040 21.02.2008
24	माधव कॉलेज, लाडनूं, नागौर	बी.ए., बी.कॉम व बीसीए	2007-08	28505 27.11.2007
25	महर्षि दाधीच महाविद्यालय, आसीन्द, भीलवाड़ा	बी.ए.	2007-08	290.74 30.11.2007
26	परमहंस स्वामी माधवानन्द कॉलेज, जाडन, पाली	बीएससी (यौगिक साइंस), डीवाईएचएस	2007-08	21560 3.10.2007
27	पार्श्वनाथ जैन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज, वरकाना, रानी, पाली	बीसीए	2007-08	17222 22.08.2007
28	इंदिरा प्रोफेशनल संस्थान, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा	बीसीए/एम. एससी-आई.टी.	2007-08	17261 22.08.2007
29	डीडवाना महिला महाविद्यालय, डीडवाना	बी.ए.	2007-08	19813 3.07.2007
30	राजकीय महाविद्यालय, जैतारण, पाली	बी.ए.	2007-08	
31	मदरलैण्ड महाविद्यालय, टोंक	बीसीए व पीजीडीसीए	2007-08	8693-16.02.08
32	राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा	एलएलबी व डीएलएल	2006-07	13377 14.03.2008
33	राजकीय विधि महाविद्यालय, पाली	एलएलबी	2006-07	13371 14.03.2008
34	राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर	एलएलबी	2006-07	13374 14.03.2008
35	राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर	एलएलबी, डीएलएल व डिप्लोमा इन क्रिमिनॉलोजी		13474-75 14.03.2008
36	आशापूर्णा विधि महाविद्यालय, जालौर	एलएलबी	2007-08	18060 27.08.2007

निर्णय

माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि की गई।

(5) प्रतिवेदन है कि, सत्र 2007-08 हेतु मुद्रित पाठ्यक्रमों से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम मण्डलों की अनुशंषानुसार एवं माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन **शैक्षणिक**

उपरान्त निम्नांकित कार्यालय आदेशों में वर्णित संशोधन जारी किए गए हैं :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	कार्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक	परिशिष्ठ
1-	B.Sc. – Bio Technology-2007	14667-846 दिनांक 26.07.2007	VI
2-	BBA – 2006-07	29699-700 दिनांक 13.12.2007	VII
3-	BCA-2006-07	30032-41 दिनांक 24.12.2007	VIII
4-	BCA Pt. I,II,III & BSc. (IT)-2008	30310-315 दि. 28.12.2007	IX
5-	LLM Pt. II-2007-08	30317-23 दि. 28.12.2007	X
6-	B.Sc. Pt. II-2008	5238-43 दि. 7.02. 2008	XI
7-	Env. Studies – 2008	6309-493 दि. 9.02. 2008	XII
8-	B.Sc. Math. Pt.I, III, B.Sc.(Hons. Math.) Pt. I, III, BCA & B.Sc. (IT)-2008	8820-24 दिनांक 18.02.2008	XIII
9-	B.A. Pt. I, II, III & M.A.-Sanskrit-2007-08	9178-364 दि. 19.02.2008	XIV
10-	B.A. Pt. II Socio-I-2008	3506-710 दि. 14.03.2008	XV
11-	B.Sc.(Hons.) Pt. III Maths. Paper-V – 2008	15961-64 दि. 16.04.2008	XVI
12-	M.A.-Psychology – 2007-09	16018-25 दि. 17.04.2008	XVII
13-	M.A.-Education – 2008	21880 दि. 2.05.2008	XVIII

निर्णय

माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि की गई।

शैक्षणिक

(6) प्रतिवेदन है कि, निम्नांकित महाविद्यालयों को बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यता नहीं दिए जाने के उपरान्त भी छात्र हित में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रदान की गई सम्बद्धता के आदेशों का अनुमोदन करना:

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	पत्र क्रमांक
1.	राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर	एफ.14( )/शैक्ष.II/ मदसविवि/ 2008/ 13474-75 दिनांक 14. 03.2008 (परिशिष्ठ-XIX)

2.	राजकीय विधि महाविद्यालय, पाली	एफ.14()/शैक्ष.II/ मदसविवि/ 2008/ 13371 दिनांक 14.03.2008 (परिशिष्ठ- XX)
3.	राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर	एफ.14( )/शैक्ष.II/मदसविवि/ 2008/13374 दिनांक 14.03.2008 (परिशिष्ठ- XXI)
4.	राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा	एफ.14( )/शैक्ष.II/मदसविवि/ 2008/13377 दिनांक 14.03.2008 (परिशिष्ठ- XXII)

निर्णय	**राजकीय महाविद्यालय, पाली, नागौर और भीलवाडा को एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2007-08 में अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि करने के आदेशों की अपवादस्वरूप पुष्टि की गई। राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ने चूंकि सत्र 2006-07 एवं 2007-08 के लिए सम्बद्धता प्राप्त नहीं की है। अतः इस प्रकरण पर निरीक्षण बोर्ड नियमों के अनुसार कार्यवाही करे।**	
निर्णय	(7) <u>प्रतिवेदन है कि</u>, माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार एम.फिल. पाठ्यक्रम में लघु निर्देशन, मौखिक परीक्षा/ साक्षात्कार इत्यादि गतिविधियों के संचालन हेतु पर्यवेक्षक को प्रति छात्र रू.1500/- मानदेय दिए जाने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांकःएफ.14( )शैक्ष.II/मदसविवि/2008/23069-095 दिनांक 3.05.2008 जारी किया गया है। (मुख्य कार्यसूची के परिशिष्ठ- XXIII) **माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि केवल इस सत्र के लिये की गई। सत्र 2008-09 से इस कार्य हेतु पर्यवेक्षक को कोई मानदेय नहीं देने की संस्तुति की।**	**शैक्षणिक**
निर्णय	(8) <u>प्रतिवेदन है कि</u>, माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा सत्र 2007-08 से नव-स्थापित राजकीय महाविद्यालय, जैतारण (पाली) को सम्बद्धता हेतु विलम्ब शुल्क से मुक्त रखने का आदेश क्र.एफ.14( )शैक्ष.II/ मदसविवि/2008/SPL-05/245 दिनांक 12.01.2008 जारी किया गया है। (मुख्य कार्यसूची का परिशिष्ठ- XXIV) **माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि इस शर्त के साथ की गई कि भविष्य में इस तरह का दृष्टान्त न बने।**	**शैक्षणिक** **शैक्षणिक**
निर्णय	(9) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की वर्ष 2006 की विभिन्न परीक्षाओं में सफल रहे परीक्षार्थियों को (जो उपाधि प्राप्त करने की पात्रता धारित करते हैं) उपाधियॉं जारी करने हेतु उपकुलसचिव -उपाधि/कुलसचिव महोदय की संस्तुति के आधार पर उपाधियां जारी किये जाने की तिथि 26.05.2007 निर्धारित की है। माननीय के आदेश सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । **माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि की गई।**	**परीक्षा**

	<u>पूरक कार्यसूची</u> **<u>मुख्य कार्यसूची के मद संख्या 3 का शेष भाग :</u>** माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेश का अभिलेखन एवं पुष्टि करना :- (10) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड़ इन्फोर्मेशन साइंस की परीक्षा योजना के लिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एण्ड़ डॉक्यूमेंटेशन के लिए निर्धारित परीक्षा योजना के **Reg.43B** को निम्नानुसार अंगीकृत करने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 12.6.2007 के क्रम में कार्यालय आदेश क्र.एफ.13(शैक्ष.I)/मदसवि/2007/17675-735 दि. 25.5.2007 जारी किया गया है। "For a pass a candidate shall be required to secure a minimum of 30% marks in each paper and 40% marks in the aggregate of all the papers successful candidates securing at least 60% marks in the aggregate shall be placed in First Division and those securing at least 50% marks in the aggregate in Second Division. All the rest will be declared to have passed the examination. However, a candidate who fails in one or more papers in the annual examination will be allowed to re-appear in two succeeding annual examination."	**शैक्षणिक**
निर्णय	**माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि की गई।**	
	(11) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> महाविद्यालयों की सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सीटों के आवण्टन हेतु शुल्क का निर्धारण किए जाने के सम्बन्ध में प्रो. एस.के. माहना की अध्यक्षता में माननीय कुलपति महोदय ने समिति का गठन किया था। समिति ने दिनांक 19.6.2007 एवं 23.7.2007 को बैठक आयोजित कर जो अनुशंषाएँ प्रस्तुत की, उन्हें कुलपति महोदय ने स्वीकृति प्रदान की। तद्नुसार सत्र 2008-09 से विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अतिरिक्त सीटों के आवण्टन के लिए शुल्क का निर्धारण कार्यालय ओदश क्र.एफ.14(शैक्ष.II)/मदसवि/2006/11180-11429 दिनांक 30.6.2007 (**कार्यसूची परिशिष्ठ-XXV**) एवं सम्बद्धता शुल्क व निरीक्षण शुल्क का निर्धारण कार्यालय आदेश क्र.एफ.14(210)शैक्ष.II/मदसवि/2007/27784-990 दिनांक 21.11.2007 (**कार्यसूची का परिशिष्ठ-XXVI**) द्वारा किया गया है।	**शैक्षणिक**
निर्णय	**माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि की गई।**	
	(12) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> भारतीय विचार केन्द्रम् की शासकीय परिषद् की दिनांक 23.6.2007 की अनुशंषाओं पर विचार करने के उपरान्त माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्यालय आदेश क्र.एफ.13 (शैक्ष.I)/मदसवि/2007/19334-37 दिनांक 19.9.2007 जारी किया गया, जिसके अनुसार अनुमोदित शोध केन्द्र के लिए निम्नांकित प्रावधान स्वीकार किए गए हैं :	**शोध व शैक्षणिक**

	1. the retired Professors and the faculty members who had been research guides in their parent institutions (recognized colleges, universities) will be permitted to register research students up to the numbers as prescribed in rule (8) of the Rules for approval of institutions. 2. the teachers who have been engaged by the BIAR to work in the institute and who fulfills the prescribed qualifications and teaching experience shall be considered to be research supervisors of that Instt. by the university on recommendation of the BIAR. 3. the Director, BIAR shall submit to the University the applications form duly filled by such teachers whom BIAR recommends to be research supervisors along with supportive documents. 4. the Director of Research shall register the applicant as research guide and issue registration letter. 5. there may be a five member Research Programme Committee consisting of the Director, the Chairman of the Academic Council of BIAR, the University Director of Research, an expert appointed by the Vice Chancellor and one Representative of the Governing Council, to monitor the research of the BIAR. 6. this Research Programme Committee will consider the synopsis submitted by each student/applicant. The Committee, if require, can call the applicant to present the research proposal before the committee, the committee may approve or reject such proposals or suggest modifications. 7. the Director shall submit to the University the applications form duly filled by the applicant whose proposal has been approved by the committee alongwith the synopsis, demand draft of the requisite fees in favour of 'The Registrar, MDS University, Ajmer' and also the recommendation of the said committee. 8. the Director of Research shall register the applicant as research scholar and issue registration letter. 9. the viva-voce for awarding the Ph.D. degree shall be conducted at the University. 10. BIAR shall be the stockiest and custodian of all priced/unpriced forms for Ph.D. programme and the account shall be settled with details of Debit Credit and Balance (DCB) twice a year in June and December.	
निर्णय	**माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि निम्नांकित प्रेक्षणों के साथ की गईः** **(क) एम.ओ.यू. में संस्था का जो नाम लिखा गया है उसमें परिवर्तन विश्वविद्यालय की स्वीकृति से होना चाहिए।** **(ख) आदेश के बिन्दु संख्या 5 में रिसर्च प्रोग्राम समिति का गठन विषय शोध समिति के गठन के समान होना चाहिए, जिसमें कुलपति समिति के अध्यक्ष होने चाहिए।** **(ग) शोधार्थि पंजीकरण की संख्या और शोध निदेशक की आयु सीमा में शिथलीकरण दिया जा सकता है।** **(घ) विषय शोध समिति की कार्यवाही के लिए विकल्प विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग भी हो सकता है।**	
	(13) प्रतिवेदन है कि, शिक्षा संकाय के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में 2007-08 से शिक्षा विभाग की स्थापना एवं उसके अन्तर्गत बैचलर ऑफ एज्यूकेशन और मास्टर ऑफ एज्यूकेशन विषयों का समनुदेशन विश्वविद्यालय के परिनियम 9.(2) के प्रावधनान्तर्गत कुलपति महोदय द्वारा किया गया है। तद्नुसार, कार्यालय आदेश	शैक्षणिक

<table>
<tr>
<td>

निर्णय</td>
<td>क्र.एफ.14( )शैक्ष.I/मदसवि/2007/7342 दिनांक 6.6.2007 (कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXVII) जारी किया गया है।
माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि की गई।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>मद सं. 3

निर्णय</td>
<td>पटल पर (Table Items) प्रस्तुत मद
<u>मुख्य कार्यसूची के मद संख्या 3 का शेष भाग :</u>
माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेश का अभिलेखन एवं पुष्टि करना :-
(14) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों के बी.एस.सी. (बायोटैक्नालॉजी) पाठ्यक्रम में सत्र 2007-08 में छात्रों के प्रवेश राज्य सरकार की प्रवेश नीति के अनुसार दिए जाने की अनुमति माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 4.3.2008 द्वारा प्रदान की गई है।
माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि की गई।</td>
<td>शैक्षणिक</td>
</tr>
<tr>
<td>मद सं. 4

निर्णय</td>
<td>महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 3 एवं 4 जनवरी, 2008 को सम्पन्न प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन के कार्यवृत्त के निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करना :-
<u>Agenda item - 2A</u> Faculties and courses being run in the Universities.
Main discussion were to seek how the courses could be made more relevant, lupgraded and also rajasthan related.
उपर्युक्त चर्चा के क्रम में निम्नलिखित विषयों में नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने पर विचार करना :- Archaeology, Fort Architecture, History of Battles, Tourism & Hospitality, Mining & Geology, Water Science, International relations, Law of borders, Gandhian Philosophy, Human Rights, Socialwork, Diploma in Chriminology, Financial Control & Marketing Management.
उपर्युक्त विषयों को निम्नांकित संकायों को समनुदेशित करने की संस्तुति की :
कुलपति महोदय इन विषयों को उपर्युक्त अध्ययन बोर्ड / पाठ्यक्रम समिति को पाठ्यक्रम निर्माण करने हेतु निर्धारित करें।
<table>
<tr><td>समाज विज्ञान संकाय</td><td>Archaeology
Fort Architecture
History of Battles
Tourism & Hospitality
International Relations
Law of Borders
Gandhian Philosophy</td></tr>
</table></td>
<td>शैक्षणिक</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td><table><tr><td>विज्ञान संकाय

विधि संकाय

प्रबन्ध अध्ययन संकाय</td><td>Social Work
Mining & Geology
Water Science
Human Rights
Dip. in Criminology
Financial Control and Marketing Management</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं. 5

निर्णय</td><td>महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 3 एवं 4 जनवरी, 2008 को सम्पन्न प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन के कार्यवृत्त के निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करना :-

<u>Agenda item-2C 2.8</u> Universities to revise and up-date the courses of History and Archaeology to focus on important issues.

उपर्युक्त चर्चा के क्रम में इतिहास पाठ्यक्रम अध्ययन मण्डल और आर्ट एण्ड आर्कियोलॉजी पाठ्यक्रम समितियों द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम पर तद्नुसार निर्णय करना।

उक्त बिन्दु को इतिहास विषय के सन्दर्भ में इतिहास अध्ययन बोर्ड को तथा पुरातत्व एवं संस्कृति पाठ्यक्रम समिति को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजा जाए।</td><td>शैक्षणिक</td></tr>
<tr><td>मद सं. 6

निर्णय</td><td>महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 3 एवं 4 जनवरी, 2008 को सम्पन्न प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन के कार्यवृत्त के निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करना :-

<u>Agenda Item 4.8</u> The need to improve the methods teaching the maths, physics and chemistry so that science and Technology are within easier grasp of the students.

उपर्युक्त चर्चा के क्रम में शिक्षण विधि के सुधार हेतु विचार करना।

विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष उक्त तीनों विषयों की शिक्षण विधि के सुधार हेतु एक कार्यशाला के आयोजन का प्रस्ताव तैयार करें।</td><td>शैक्षणिक</td></tr>
<tr><td>मद सं. 7</td><td>महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 3 एवं 4 जनवरी, 2008 को सम्पन्न प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन के कार्यवृत्त के निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करना :-

<u>Agenda Item12(2)</u> Need to increase overall awareness of the students about their social responsibility by various professors focusing on freedom</td><td>शैक्षणिक</td></tr>
</table>

निर्णय	**movement the role Gandhi.** उपर्युक्त चर्चा के क्रम में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने हेतु विचार करना। **सभी संकायाध्यक्षों की एक समिति इस बिन्दु पर विचार कर अपनी संस्तुतियां दे।**	
मद सं. 8 निर्णय	महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 3 एवं 4 जनवरी, 2008 को सम्पन्न प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन के कार्यवृत्त के निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करना :- **<u>Agenda Item 12.5</u>** Isue of private dental colleges be treated as closed. iii) Innovative steps in introducing courses by Vardhman Mahaveer Open University, University of Rajasthan and others were appreciated. उपर्युक्त चर्चा के क्रम में NGO Management, Media Management, Law of Borders, e-governance & Development पाठ्यक्रम खोले जाने का विचार करना। **निर्णय किया कि, एनजीओ मैनेजमैण्ट का पाठ्यक्रम जन संख्या अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाए। मीडिया मैनेजमैण्ट एवं ई-गवर्ननैंस का पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित है। लॉ ऑफ बॉर्डर्स का विषय समाज विज्ञान संकाय को निर्णय संख्या 4 द्वारा सौंपा गया है।**	**शैक्षणिक**
मद सं. 9 निर्णय	महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 3 एवं 4 जनवरी, 2008 को सम्पन्न प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन के कार्यवृत्त के निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करना :- **<u>Agenda Item 12.5</u> Issue of private dental colleges be treated as closed.** vii) The issue of fee for the various courses was discussed in detail. It was decided that proposal for increasing the fees in various courses should be taken up as the parents are ready to pay, but the interest of poor students should not be adversely affected. उपर्युक्त निर्णय के क्रम में प्रतिवेदन है कि विद्या परिषद् की संस्तुति संख्या 12(अ) दिनांक 25.05.2007 एवं प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 27 दिनांकः 7.06.2007 द्वारा परीक्षा शुल्क में वृद्धि हर दूसरे वर्ष 10: की दर से किए जाने का प्रावधान है। तद्नुसार सत्र 2008-09 में शुल्क में 10: की वृद्धि होनी है। इस निर्णय पर प्रतिवर्ष 5: परीक्षा शुल्क वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव पर विचार करना। **निर्णय किया कि परीक्षा शुल्क में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाए और यह वृद्धि सत्र 2008-09 से लागू की जाए।**	**शैक्षणिक**
मद सं.10	महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 3 एवं 4 जनवरी, 2008 को सम्पन्न प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन के चौथे सत्र में	**शैक्षणिक**

	महामहिम द्वारा बैठक का समापन करते समय कुलपतियों को सम्बोधित किए गए निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करनाः- 3. More focus should be given on Rajasthan centric studies and syllabi and local conditions. 4. Concerned Universities to start courses in Archaeology, International Studies, International Relations, Law of Boerders by next session. 5. Some serious thoughts be given by one or two Unviersities to start the courses on Development Studies. 6 Some Universitites to start the courses on Palace Architecture, modified courses on History and Culture, Courses on Geology and studies on Minerals, Oil and Gas उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में Heritage, Tourism, Forts studies, Handi hotels, Dhani Hotels (village, Cow Resource Management, Watershed, Warehousing Development Project Management, Palace Architecture, Modified courses on History & Culture, Geology and Studies on Minerals, Oils & Gas पाठ्यक्रमों के संचालन पर विचार करना।	
निर्णय	**इस कार्यवृत्त की मद संख्या 7 में सन्दर्भित सभी संकायाध्यक्षों की समिति इस बिन्दु पर विचार कर संस्तुति दे।**	
मद सं.11	वर्ष 2009 में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित संकायों के अन्तर्गत गठित निम्नांकित अध्ययन बोर्डों की अनुशंषाओं पर विचार कर अनुमोदन करना :-	**शैक्षणिक**
निर्णय	**वर्ष 2009 में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिये निम्नलिखित संकायों के अन्तर्गत गठित निम्नांकित अध्ययन बोर्डों की अनुशंषाओं पर उनके समक्ष अंकित प्रेक्षण के अनुसार अनुमोदन करने की संस्तुति की :** कला संकाय 1. **हिन्दी अध्ययन बोर्ड** - दिनांक 15.10.2007, 7.12.2007 एवं 8.2.2008 की केवल पाठ्यक्रम निर्धारण के संबंध में की गई संस्तुतियों को स्वीकार करना। 2. **अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड** - दिनांक 16.10.2007 को हुई बैठक के बिन्दु संख्याा 4 से 12 को स्वीकार किया गया। एम.ए. अंग्रेजी साहित्य पूर्वाद्ध एवं अन्तिम परीक्षा के लिए बिन्दु संख्या 1 से 7 को स्वीकार किया गया। 16.2.2008 की बैठक की संस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया गया। 3. **संस्कृत अध्ययन बोर्ड** - दिनांक 23.10.2007 की बैठक की संस्तुति कि सत्र 2008-09 की संस्कृत की सभी कक्षाओं में अधिकाधिक 10 से 20 प्रतिशत पाठ्यांश संस्कृत माध्यम से अध्यापन हेतु निर्धारित किए जावे, को अस्वीकार किया तथा 40	

	प्रतिशत अंश संस्कृत माध्यम से ही प्रश्न पूछे जाने की व्यवस्था को जारी रखने की संस्तुति की। संयोजक द्वारा प्रश्नपत्र निर्माण के सम्बन्ध में संस्तुति को अस्वीकार किया गया। शेष स्वीकार। 4. **सिन्धी अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 15.10.2007 की बैठक की संस्तुतियों को स्वीकार किया। 5. **राजस्थानी अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 23.10.2007 की संस्तुतियों को यदि गणपूर्ति पूरी है तो स्वीकार करना। 6. **उर्दू, फारसी, अरबी अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 15.2.2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। 7. **दर्शनशास्त्र अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 12.4.2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किया। <u>ललित कला संकाय</u> 1. **चित्रकला अध्ययन बोर्ड** – कार्यसूची में 12.12.2007 की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न नहीं था। अतः 14.11.2007 की बैठक की संस्तुतियों को स्वीकार यिका गया एवं 12.12.2007 की संस्तुतियों को स्वीकार करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। 2. **संगीत अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 14.11.2007 की संस्तुतियों को स्वीकार किया। <u>समाज विज्ञान संकाय</u> 1. **समाजशास्त्र अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 8.4.2008 की संस्तुतियों (A & B) को अस्वीकार किया एवं सत्र 2007-08 के पाठ्यक्रमों को ही 2008-09 में जारी रखने का निर्णय किया। 2. **लोकप्रशासन अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 10.1.2008 के कार्यवृत्त में स्पष्ट नहीं है कि वर्णित चारों पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किया गया है \ तथापि स्वीकार किया। भविष्य में अध्ययन बोर्ड के कार्यसूक्ष्म स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस पाठ्यक्रम के किस प्रश्न पत्र में क्या संशोधन किया गया है। 3. **राजनीति विज्ञान अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 5.12.2007 के कार्यवृत में स्पष्ट नहीं है कि वर्णित पाँचों पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किया गया है? तथापि स्वीकार किया। भविष्य में अध्ययन बोर्ड के कार्यसूक्ष्म स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस पाठ्यक्रम के किस प्रश्न पत्र में क्या संशोधन किया गया है। 4. **अर्थशास्त्र अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 26.10.2007 के कार्यवृत में स्पष्ट नहीं है कि वर्णित पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किया गया है ? तथापि स्वीकार किया। भविष्य में	

अध्ययन बोर्ड के कार्यसूक्ष्म स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस पाठ्यक्रम के किस प्रश्न पत्र में क्या संशोधन किया गया है। संस्तुति संख्या 3 एवं 5 को अस्वीकार किया गया।

दिनांक 22.2.2008 के कार्यवृत्त में स्पष्ट नहीं है कि वर्णित पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किया गया है ? तथापि स्वीकार किया। भविष्य में अध्ययन बोर्ड के कार्यसूक्ष्म स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस पाठ्यक्रम के किस प्रश्न पत्र में क्या संशोधन किया गया है।

5. एम.बी.ए. Business Economics अध्ययन बोर्ड – दिनांक 26.10.2007 के कार्यवृत्त में स्पष्ट नहीं है कि वर्णित पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किया गया है ? तथापि स्वीकार किया। भविष्य में अध्ययन बोर्ड के कार्यसूक्ष्म स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस पाठ्यक्रम के किस प्रश्न पत्र में क्या संशोधन किया गया है।

6. जीवन विज्ञान और जैन दर्शन अध्ययन बोर्ड – दिनांक 10.12.2007 अध्ययन बोर्ड का नाम 'जीवन विज्ञान और जैन दर्शन' है, जबकि, कार्यवृत्त में ''जैन विद्या और जीवन विज्ञान'' विषय की पाठ्यक्रम समिति लिखा गया है, संयोजक भविष्य में इस संबंध में ध्यान दें कि अध्ययन बोर्ड का सही नाम ही लिखा जाए। समिति की संस्तुतियों को अस्वीकार किया और गत वर्ष के पाठ्यक्रम को ही सत्र 2008-09 में जारी रखने की संस्तुति की।

7. मनोविज्ञान अध्ययन बोर्ड – दिनांक 23.2.2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया और इन्हें सत्र 2008-09 के लिए भी लागू करने की संस्तुति की।

8. इतिहास अध्ययन बोर्ड – दिनांक 25.10.2007 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।

9. भूगोल अध्ययन बोर्ड – दिनांक 13.12.2007 की संस्तुति संख्या 4 को छोड़कर शेष स्वीकृत।

10 जनसंख्या अध्ययन बोर्ड – दिनांक 22.10.2007 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।

<u>विज्ञान संकाय</u>

1. **रसायन शास्त्र अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 17.11.2007 के कार्यवृत्त में स्पष्ट नहीं है कि वर्णित सातों पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किया गया है ? तथापि स्वीकार किया। भविष्य में अध्ययन बोर्ड के कार्यसूक्ष्म स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस पाठ्यक्रम के किस प्रश्न पत्र में क्या संशोधन किया गया है।

2. **अनुप्रयुक्त रसायन अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 17.11.2007 के कार्यवृत्त में स्पष्ट नहीं है कि वर्णित एम.एस.सी. (पूर्वार्द्ध) और (उत्तरार्द्ध) पाठ्यक्रम में क्या संशोधन किया गया है ? तथापि स्वीकार किया। भविष्य में अध्ययन बोर्ड के कार्यसूक्ष्म स्पष्ट

	उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस पाठ्यक्रम के किस प्रश्न पत्र में क्या संशोधन किया गया है। 3. **भेषजकीय रसायन अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 17.11.2007 की बैठक की संस्तुति संख्या 3 एवं 4 को अस्वीकार किया। 4. **वनस्पति शास्त्र अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 21.12.2007 की बैठक की संस्तुतियों को स्वीकार किया। 5. **अनुप्रयुक्त गणित अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 11.12.2007 की बैठक की संस्तुतियों को स्वीकार किया। 6. **भूगर्भ विज्ञान अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 16.11.2007 की बैठक की संस्तुतियों को स्वीकार किया। बोर्ड की पाठ्यक्रम संशोधन सम्बन्धी संस्तुतियों को स्वीकार किया। 7. **प्राणिशास्त्र अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 6.12.2007 के कार्यवृत्त में स्पष्ट नहीं है कि वर्णित छः पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किया गया है ? तथापि स्वीकार किया। भविष्य में अध्ययन बोर्ड के कार्यसूक्ष्म स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस पाठ्यक्रम के किस प्रश्न पत्र में क्या संशोधन किया गया है। बोर्ड की संस्तुति संख्या 2 एवं 3 को अस्वीकार किया गया। 8. **गृहविज्ञान अध्ययन बोर्ड** – अध्ययन बोर्ड की संस्तुति सं.4 का प्रस्ताव प्रवेश नीति निर्धारण के समय कुलपति महोदय द्वारा विचार किया जाए। शेष संस्तुतियां स्वीकृत। 9. **खाद्य एवं पोषण अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 27.11.2007 की बैठक की संस्तुति संख्या 4 को छोड़कर शेष स्वीकृत। 10. **सूक्ष्म जीव विज्ञान अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 13.12.2007 के कार्यवृत्त में स्पष्ट नहीं है कि वर्णित एम.एस.सी. (पूर्वार्द्ध) और (उत्तरार्द्ध) पाठ्यक्रम में क्या संशोधन किया गया है ? तथापि स्वीकार किया। भविष्य में अध्ययन बोर्ड के कार्यसूक्ष्म स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस पाठ्यक्रम के किस प्रश्न पत्र में क्या संशोधन किया गया है। संस्तुति संख्या 3 एवं 4 को अस्वीकार किया गया। 11. **पर्यावरण अध्ययन बोर्ड** – दि.3.12.2007 के कार्यवृत्त में स्पष्ट नहीं है कि वर्णित एम.एस.सी. (पूर्वार्द्ध) और (उत्तरार्द्ध) पाठ्यक्रम में क्या संशोधन किया गया है? तथापि स्वीकार किया। भविष्य में अध्ययन बोर्ड के कार्यसूक्ष्म स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस पाठ्यक्रम के किस प्रश्न पत्र में क्या संशोधन किया गया है। 12. **भौतिक शास्त्र अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 13.12.2007 एवं 15.2.2008 की संस्तुति संख्या 1 में यह स्पष्ट नहीं है कि पाठ्यक्रम में क्या संशोधन किए गए हैं। तथापि स्वीकार किया। भविष्य में अध्ययन बोर्ड के कार्यसूक्ष्म स्पष्ट उल्लेख किया जाना	

चाहिए कि किस पाठ्यक्रम के किस प्रश्न पत्र में क्या संशोधन किया गया है। संस्तुति संख्या 4 को अस्वीकार किया गया।

13. **बायोटैक्नोलॉजी अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 8.12.2007 के कार्यवृत्त में स्पष्ट नहीं है कि वर्णित एम.एस.सी. (पूर्वार्द्ध) और (उत्तरार्द्ध) पाठ्यक्रम में क्या संशोधन किया गया है ? तथापि स्वीकार किया। भविष्य में अध्ययन बोर्ड के कार्यसूक्ष्म स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस पाठ्यक्रम के किस प्रश्न पत्र में क्या संशोधन किया गया है। संस्तुति संख्या 'e' को अस्वीकार किया गया।

<u>वाणिज्य संकाय</u>

1. **व्यावसायिक प्रशासन अध्ययन बोर्ड**– दिनांक 15.11.2007 की बैठक की संस्तुतियां स्वीकृत।

2. **आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 27.11.2007। अध्ययन बोर्ड का नाम "आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड" है जबकि, कार्यवृत्त में 'वाणिज्य में ई.ए.एफ.एम. विभाग की पाठ्यक्रम मण्डल' की बैठक लिखा गया है, जो सही नहीं है। संयोजक अध्ययन बोर्ड के सही नाम का प्रयोग करें। अध्ययन बोर्ड की अनुशंषाएं स्वीकृत।

3. **लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 1.12.2007 के कार्यवृत्त की संस्तुतियां स्वीकृत।

4. **वाणिज्य अध्ययन बोर्ड (एम.फिल.)** – दिनांक 24.3.2008 की संस्तुतियां स्वीकृत।

<u>प्रबन्ध अध्ययन संकाय</u>

1. **उद्यमिता अध्ययन बोर्ड** – दिनांक 13.11.2007 के कार्यवृत्त में स्पष्ट नहीं है कि संस्तुति संख्या 2 एवं 14 में जिन पाठ्यक्रमों का उल्लेख है उन पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किया गया है ? तथापि स्वीकार किया। भविष्य में अध्ययन बोर्ड के कार्यसूक्ष्म स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस पाठ्यक्रम के किस प्रश्न पत्र में क्या संशोधन किया गया है।

2. **प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड** – अध्ययन बोर्ड का नाम 'प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड' है, जबकि कार्यवृत्त में 'बोर्ड ऑफ स्टडीज़ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेण्ट स्टडीज़' लिखा गया है, जो सही नहीं है। संयोजक, अध्ययन बोर्ड के सही नाम का प्रयोग करें। दिनांक 1.12.2007 की संस्तुतियाँ स्पष्ट न होने के कारण अस्वीकृत। गत वर्ष के पाठ्यक्रम को ही आगे के वर्षों में जारी रखा जाए। भविष्य में अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियां सुस्पष्ट होने चाहिए जिसमें यह स्पष्ट हो कि किस पाठयक्रम में क्या संशोधन परिवर्तन किया गया है, परीक्षा योजना और पात्रता में क्या परिवर्तन सुझाया

गया है। यह भी निर्णय किया कि बीबीए, एमबीए आदि पाठ्यक्रमों में मौखिक परीक्षा हेतु संकायाध्यक्ष मौखिक परीक्षा लेने नहीं जाएंगे क्योंकि सम्बन्धित वर्ष के पाठ्यक्रम में ऐसा करने का कोई प्रावधान नहीं है और संकायाध्यक्ष ऐसी मौखिक परीक्षाएं लेने के लिए सम्बन्धित वर्ष के पाठ्यक्रम में अधिकृत नहीं हैं।

<u>विधि संकाय</u>

1. **विधि अध्ययन बोर्ड** - दिनांक 30.11.2007 की बैठक की संस्तुति संख्या 2 को अस्वीकार किया क्योंकि संयोजक के पुत्र विधि की परीक्षा में इस वर्ष बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति मे विधि की परीक्षाओं के लिए परीक्षकों का पैनल बनाने वाली समिति में संयोजक का होना उचित नहीं है। संयोजक ने सदन में ही संयोजक के दायित्व से त्यागपत्र देने की घोषणा की। संस्तुति संख्या 3 एवं 4 पर अध्ययन बोर्ड पुनर्विचार करे। संस्तुति संख्या 6 और 7 अस्वीकार की गई।

   दिनांक 12.2.2008 की बैठक के कार्यवृत्त की संस्तुति संख्या 2 स्वीकार की गई।

   दिनांक 7.3.2008 की बैठक के कार्यवृत्त की संस्तुति संख्या 3 में एल.एल.एम. का पाठ्यक्रम इस वर्ष की परीक्षा के लिए संयोजक द्वारा निर्मित किया गया है, स्पष्ट नहीं है। अतः विधि अध्ययन बोर्ड इस पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार करे।

   दिनांक 28.4.2008 की बैठक के कार्यवृत्त की संस्तुतियां स्वीकृत। नए पाठ्यक्रमों की परीक्षा योजना एवं प्रवेश पात्रता और प्रक्रिया स्पष्ट रूप में तैयार कर प्रस्तुत की जाएं।

<u>शारीरिक शिक्षा संकाय</u>

1. **शारीरिक शिक्षा अध्ययनय बोर्ड** - दिनांक 8.12.2007 की बैठक के कार्यवृत्त की संस्तुति संख्या 6 अस्वीकृत। शेष स्वीकृत।

<u>वैदिक अध्ययन संकाय</u>

1. **योग एवं मानव चेतना अध्ययन बोर्ड -** दिनांक 2.8.2007। अध्ययन बोर्ड का नाम योग एवं मानव चेतना अध्ययन बोर्ड है, जबकि, कार्यवृत्त में 'योग अध्ययन मण्डल' लिखा गया है जो सही नहीं है। भविष्य में संयोजक, अध्ययन बोर्ड का नाम सही लिखें।

   दिनांक 2.8.2007 एवं 26.10.2007 की बैठक के कार्यवृत्त में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, प्रवेश योग्यता, पात्रता पाठ्यक्रम के लिए संचालन के आवश्यक संसाधन, अध्यापन की पात्रता आदि का कोई विवरण कार्यवृत्त में नहीं है। अतः इस पाठ्यक्रम के संचालन के सम्बनध में कुलपति महोदय विचार कर निर्णय करे।

मद सं.11क	वर्ष 2009 में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित संकायों के अन्तर्गत गठित निम्नांकित पाठ्यक्रम समितियों की अनुशंषाओं पर विचार कर अनुमोदन करनाः-	**शैक्षणिक**
निर्णय	**वर्ष 2009 में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिये निम्नलिखित संकायों के अन्तर्गत गठित निम्नांकित पाठ्यक्रम समितियों की अनुशंषाओं पर उनके समक्ष अंकित प्रेक्षण के अनुसार अनुमोदन करने की संस्तुति की :** <u>कला संकाय</u> 1. **क्रियात्मक हिन्दी पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 23.10.2007, की संस्तुतियां स्वीकृत। 2. **हिन्दी भाषा दक्षता पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 15.10.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 3. **कम्यूनिकेटिव अंग्रेजी पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 16.10.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 4. **प्रोफेशनल अंग्रेजी पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 16.10.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 5. **जर्मन भाषा पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 3.12.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 6. **फ्रेंच भाषा पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 12.10.2007 की संस्तुतियां अस्वीकृत। <u>ललित कला संकाय</u> 1. **आर्ट मास्टर डिप्लोमा पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 25.10.2007। कार्यवृत्त से प्रकट होता है कि केवल संयोजक ने कार्यवृत्त प्रस्तुत किया है। अतः पाठ्यक्रम समिति द्वारा पुनर्विचार किया जाए। 2. **डांस और ड्रामैटिक्स पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 16.11.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 3. **फैशन डिज़ाइनिंग पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 13.12.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 4. **इन्टीरियर डैकोरेशन पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 3.12.2007। गत वर्ष का पाठ्यक्रम सत्र 2008-09 के लिए जारी रखा जाए। 5. **संगीत (for professional musical and instrumentation) पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 11.1.2008 की संस्तुतियां स्वीकृत। <u>समाज विज्ञान संकाय</u> 1. **आर्कियोलॉजी एण्ड कल्चर पाठ्यक्रम समिति**- दिनांक 6.8.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 2. **हैरिटेज टूरिज्म एण्ड होटल मैनेजमैण्ट पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 5.12.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 3. **टूरिज्म मैनेजमैण्ट, ट्रेवल एजेन्सी एण्ड टूर ऑपरेशन पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 5.12.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 4. **आर्ट कन्ज़र्वेशन पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 24.12.2007। कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम समिति का नाम का उल्लेख नहीं है, जिससे स्पष्ट नहीं है कि समिति ने क्या	

	पाठ्यक्रम, किस नाम से प्रस्तुत किया है, न ही पाठ्यक्रम का कोई विवरण संलग्न है। अतः समिति अपनी संस्तुतियां सही प्रकार प्रस्तुत करे। 5. **एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजमैण्ट पाठ्यक्रम समिति** – दिनांक 25.2.2008 की संस्तुतियां स्वीकृत। पाठ्यक्रम समिति का नाम 'सी.ओ.सी. इन कैपिटल मार्केट' है जबकि कार्यवृत्त में 'बी.ओ.एस. इन कैपिटल मार्केट' लिखा गया है जो सही नहीं है। कार्यवृत्त में समिति का नाम सही लिखा जाना चाहिए। समिति की अनुशंषाएं सष्ट नहीं है अतः समिति इन पर पुनर्विचार करे। 6. **बैंकिंग एण्ड फाइनेंस पाठ्यक्रम समिति** – दिनांक 13.11.2007। पाठ्यक्रम समिति का नाम 'सी.ओ.सी. इन बैंकिंग फाइनेंस' है जबकि कार्यवृत्त में 'बी.ओ.एस. इन बैंकिंग फाइनेंस' लिखा गया है जो सही नहीं है। पाठ्यक्रम का भी कोई विवरण कार्यवृत्त में नहीं है। अतः संस्तुतियां अस्वीकृत। 7. **गारमैण्ट प्रोडैक्शन एण्ड एक्सपोर्ट मैनेजमैण्ट** – दिनांक 13.12.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 8. **E-Governance पाठ्यक्रम समिति** – दिनांक 6.12.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 9. **Defence and Stretegic पाठ्यक्रम समिति** – दिनांक 6.12.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। <u>विज्ञान संकाय</u> 1. **Textile, Dyeing and Printing पाठ्यक्रम समिति** – दिनांक 4.12.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 2. **Lab Technology & Instrumentaiton पाठ्यक्रम समिति** – दिनांक 6.12.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 3. **Bio Informatics पाठ्यक्रम समिति** – दिनांक 29.11.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 4. **Industrial Chemistry पाठ्यक्रम समिति** – दिनांक 7.2.2008 की संस्तुतियां स्वीकृत। <u>वाणिज्य संकाय</u> 1- **Office Management & Secretarial Practice पाठ्यक्रम समिति** – दिनांक 24.12.2007 । कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम समिति का नाम सही नहीं लिखा गया है। संयोजक इस ओर ध्यान दें। समिति की संस्तुतियां स्वीकृत। <u>वैदिक अध्ययन संकाय</u> 1. **इण्डोलॉजी पाठ्यक्रम समिति** – दिनांक 3.12.2007 के कार्यवृत की संस्तुतियां स्पष्ट नहीं हैं। अतः अस्वीकृत।	

	2. **वैदिक एस्ट्रोलॉजी एण्ड वास्तुशास्त्र पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 3.12.2007। गत वर्ष का पाठ्यक्रम सत्र 2008-09 के लिए लागू किया जाए। 3. **वैदिक वांगमय पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 3.12.2007 । पाठ्यक्रम समिति का नाम 'वैदिक वांगमय पाठ्यक्रम समिति' है, जबकि, कार्यवृत्त में समिति का नाम 'संस्कृत वैदिक वांगमय' लिखा गया है, जो सही नहीं है। कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम का नाम भी अंकित नहीं किया गया है। समिति ने पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता निर्धारित करने की संस्तुति की है। समिति की संस्तुतियां अस्पष्ट होने के कारण अस्वीकृत। <u>जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन</u> **जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन पाठ्यक्रम समिति की** दिनांक 23.10.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। <u>ग्रामीण तकनीक और विकास संकाय</u> 1. **काऊ रिसोर्स मैनेजमैण्ट पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 19.11.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 2. **बायोफार्मिंग टैक्नीक्स एण्ड मैनेजमैण्ट पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 19.11.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। 3. **मैडिसीनल एण्ड एरोमैटिक प्लाण्ट कल्टीवेशन एण्ड प्रोसेसिंग मैनेजमैण्ट पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 19.11.2007 की संस्तुतियां स्वीकृत। <u>शिक्षा संकाय</u> **पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम समिति** - दिनांक 7.1.2008 की संस्तुतियां स्वीकृत।	
मद सं.12	महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 4 एवं 5 जनवरी, 2008 को सम्पन्न प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन के कार्यवृत्त के निम्नांकित बिन्दु संख्या 57 व **परिशिष्ट-८** पर विचार विमर्श करना :- "Initiating discussions, the Principal Secretary to the Governor mentioned that more than 1000 colleges were affiliated to the Universities in Rajasthan and that there were different type of procedures and time-tables being followed by the different Universities. In many cases, there were often delays due to problem in inspections by Regulatory agencies, clearances of State Government and lack of knowledge of procuedure. **It was, therefore, decided** that general set of guidelines be prepared by a group consisting of Vice Chancellor, University of Rajasthan, Vice Chancellor, Jai Narain Vyas University, Vice Chancellor, Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur, that could become a common guideline for all the	**शैक्षणिक**

	Universities and this was later prepared and may be seen at Appendix–I. The concerned administrative department and Universities may give these guidelines needful consideration." तद्नुसार, प्रस्तुत गाइडलाइन्स (**कार्यसूची का परिशिष्ठ XXVII**) के अनुसार हैं एवं विश्वविद्यालय का सम्बन्धित अध्यादेश **51 (कार्यसूची का परिशिष्ठ XXVIII**) के अनुसार है। इसके अतिरिक्त उक्त निर्णय के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) के पत्र क्र. 785 दिनांक 29.3.2008 के निम्नांकित प्रस्ताव पर भी विचार करना : "इसके साथ ही चूँकि राज्य सरकार द्वारा नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने का निर्णय मार्च-अप्रेल में बजट प्रस्तुतिकरण के समय घोषित किया जाता है, नवीन राजकीय महाविद्यालयों के सम्बद्धता आवेदन 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किए जाने सम्भव नहीं है। अतः नवीन राजकीय महाविद्यालयों के सम्बद्धता आवेदन 31 मई तक बिना विलम्ब शुल्क के स्वीकार किए जाने का प्रावधान भी किया जाना उचित होगा।"	
निर्णय	**कार्यसूची के परिशिष्ठ-XXVII की अनुशंषा के अनुसार अध्यादेश 51(2) को निम्नानुसार संशोधित किए जाने की संस्तुति की :** **"The affiliation process must be completed at the earliest possible and in any case not later than 31st August i.e. one month before the close of admissions."** **विद्या परिषद् ने यह भी संस्तुति की, कि, प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) के प्रस्ताव के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्प्ष्ट करते हुए अवगत कराया जाए कि उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है।**	
मद सं. 13	शैक्षणिक सत्र 2008-09 के लिए शिक्षा आयुक्तालय से प्रसारित होने पर सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के लिए शैक्षणिक कलैण्डर जारी करने और प्रवेश पात्रता प्रसारित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करना क्योंकि शैक्षणिक कलैण्डर एवं प्रवेश पात्रता शिक्षा आयुक्त से अभी तक प्रसारित/प्राप्त नहीं हुए हैं।	**शैक्षणिक**
निर्णय	**निर्णय किया कि, सत्र 2008-09 का शैक्षणिक कलैण्डर और प्रवेश पात्रता प्रसारित करने हेतु निर्धारित कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**	
मद सं. 14	प्रमुख शासन उच्च शिक्षा के पत्र क्र.प.5(1) शिक्षा-4/07 पार्ट दिनांक शून्य द्वारा प्रेषित विश्वविद्यालयों में स्व-वित्तपोषी पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु समिति के प्रारूप पर विचार करना। प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के पत्र एवं उसके साथ प्रेषित समिति के प्रारूप की प्रति संलग्न है। (**कार्यसूची का क्रमशः परिशिष्ठ (XXIX & XXX**)	**शैक्षणिक**

निर्णय	**विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषी पाठ्यक्रमों के संचालन की प्रक्रिया की पुनर्वीक्षा किए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय ने प्रोफेसर एस.के. माहना की अध्यक्षता में जो समिति गठित की है उस समिति द्वारा ही इस मद पर भी विचार किया जाए।**	
मद सं. 15	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 22 मई, 2006 के कार्यवृत्त की मद संख्या 23 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित 5 समितियों में से निम्नांकित 3 समितियों की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार कर निर्णय करना : 1. आन्तरिक परीक्षा प्रणाली में 20: अंकों के सम्बन्ध में विद्या परिषद् द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रियान्वयन हेतु प्रो. के.सी. शर्मा के संयोजकत्व में गठित समिति की दिनांक 12.7.2006 एवं 27.7.2006 की अनुशंषाओं पर विचार करना। (**कार्यसूची का परिशिष्ट - XXXI**)	परीक्षा
निर्णय	**(क) समिति की दिनांक 27.07.2006 की अनुशंषाओं को स्वीकार किया और निर्णय किया कि, समिति इस बिन्दु पर पुनर्विचार करे और आन्तरिक परीक्षा प्रणाली किस तरीके से प्रवृत्त की जा सकती है, वह सुझाए।** **(ख) समिति ने डॉ. एन.आर. चौधरी के स्थान पर प्रोफेसर गुलराज कौर कलसी को एवं डॉ. सी.बी. गैना के स्थान पर डॉ. शेर सिंह दौचणिया, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को सदस्य मनोनीत किया।** 2. महाविद्यालयों में नियमित परीक्षा के परीक्षा फार्म प्रवेश आवेदनपत्र के साथ भरवाने तथा स्वयंपाठी छात्रों के परीक्षा फार्म बैंकों के माध्यम से बिक्री करवाए जाने के सम्बन्ध में प्रो. के.के. शर्मा के संयोजकत्व में गठित समिति की दिनांक 28.7.2006 की अनुशंषाओं पर विचार करना। (**कार्यसूची का परिशिष्ट (XXXII**)	परीक्षा
निर्णय	**निर्णय किया कि, सत्र 2008-09 में स्नातक परीक्षा के प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के पूर्वाद्ध में नियमित रूप से प्रवेश लेने वाले छात्रों के परीक्षा फॉर्म प्रवेश के समय ही भरवा लिए जाएं तथा स्वयंपाठी छात्रों के फॉर्म बैंकों के माध्यम से बिक्री कराए जाने पर विचार आगामी बैठक में किया जाए।** 3. सैमेस्टर प्रणाली के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर अनुशंषाएँ देने हेतु प्रो. के.सी. शर्मा के संयोजकत्व में गठित समिति की दिनांक 12.7.2006 एवं 27.7.2006 की अनुशंषाओं पर विचार करना। (**कार्यसूची का क्रमशः परिशिष्ट XXXIII & XXXIV**)	परीक्षा
निर्णय	**संस्तुति की, कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रयोग के तौर पर सैमेस्टर प्रणाली सत्र 2008-09 से आरम्भ की जाए, परिसर में संचालित जिन**	

           निर्णय	**पाठ्यक्रमों का निर्माण सैमेस्टर प्रणाली के रूप में नहीं है, उसका विभाजन सैमेस्टर प्रणाली के रूप में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अविलम्ब करके कुलपति महोदय को प्रस्तुत करें। सैमेस्टर प्रणाली के परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन की सुविधा से मुक्त करने के लिए सम्बन्धित अध्यादेश में संशोधन करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।** 4. शेष निम्नांकित दो समितियों की बैठक का आयोजन नहीं हो पाया है : (क) 75ः से अधिक उपस्थिति वाले छात्रों को 5ः बोनस अंक दिए जाने के सम्बन्ध में प्रो. एस.के. माहना के संयोजकत्व में गठित समिति। (ख) लिंगदोह समिति को विश्वविद्यालय द्वारा सुझाव भेजने के सम्बन्ध में प्रो. आर.पी. जोशी के संयोजकत्व में गठित समिति। **संस्तुति की, कि समिति की बैठक आयोजित कराकर संस्तुतियाँ विद्या परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएं।**	 **परीक्षा** **शैक्षणिक**
मद सं. 16 निर्णय	विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 4(द) दिनांक 25 मई, 2007 द्वारा स्वयंपाठी छात्रों के प्रायोगिक कार्यों एवं प्रायोगिक परीक्षा की समस्याओं के सम्बन्ध में डॉ. आर.सी. मलिंदा के संयोजकत्व में गठित समिति की दिनांक 12 जुलाई, 2007 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार कर निर्णय करना। (**कार्यसूची का परिशिष्ठ - XXXV**) **समिति की बैठक पुनः की जाए, जिसमें डॉ. आर.सी. मलिन्दा के स्थान पर प्रो. आर.पी. जोशी को संयोजक नियुक्त किया। समिति की संस्तुतियां अगली बैठक में रखी जाएं।**	**परीक्षा**
मद सं. 17 निर्णय	विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 10 दिनांक 25 मई, 2007 के निर्णयों को क्रियान्वित किए जाने हेतु गठित समिति की दिनांक 25.5.2007 को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं पर विचार करना। विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृत बिन्दुवार संस्तुतियाँ एवं उनके समक्ष क्रियान्वयन हेतु की गई अनुशंषा तालिका संलग्न है। (**कार्यसूची का परिशिष्ठ-XXXVI**) **समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।**	**शैक्षणिक**
मद सं. 18	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्र समिति द्वारा एक वर्षीय बैचलर ऑफ एज्यूकेशन पाठ्यक्रम 100 छात्रों के इन्टेक के साथ संचालित करने की अनुमति/मान्यता देने और उस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सीट अभिवृद्धि की अनुमति अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् छात्रों के प्रवेश हेतु काउन्सलिंग की अवधि में सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से 100 अतिरिक्त छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर	**शैक्षणिक**

निर्णय	लेने और राज्य सरकार से अतिरिक्त सीट अभिवृद्धि की अनुमति प्राप्त कर लेने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय से प्रतिवर्ष अतिरिक्त सीट अभिवृद्धि शुल्क लिए जाने पर विचार करना एवं शुल्क की राशि निर्धारित करना। **अनुशंषा की कि, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा सीट अभिवृद्धि कराए जाने पर सीट अभिवृद्धि शुल्क के रूप में सम्बद्धता शुल्क के समान ही राशि प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय को देय होगी।**	
मद सं. 19 निर्णय	महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु निरीक्षण के सम्बन्ध में निम्नांकित व्यवस्थाएँ किए जाने पर विचार करना :- 1. नियुक्त निरीक्षकों द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण करते समय महाविद्यालय का भवन एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए संधारित संसाधन यथा- क्लासरूम, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब, कॉमन-रूम आदि की वीडियो रिकॉर्डिंग कराकर, सी.डी. बनवाकर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जावे। 2. वीडियो रिकॉर्डिंग की सम्पूर्ण व्यवस्था एवं व्यय सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा वहन किया जावे और वीडियो सी.डी. दो प्रतियों में निरीक्षक को उपलब्ध कराई जावे। 3. निरीक्षक अपनी रिपोर्ट के साथ प्राप्त सी.डी. विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रस्तुत करें। 4. निरीक्षकों को रूपए 400.00 प्रति निरीक्षक, प्रति पाठ्यक्रम मानदेय दिया जावे। निरीक्षक नियुक्त किए जाने हेतु अध्यादेश 52(2) की पालना की जाए। **उक्त प्रस्ताव पर विचार कर विश्वविद्यालय के अध्यादेश 52(2) को निम्नानुसार परिवर्धित करने की संस्तुति की :** **(क) अध्यादेश 5(2) में "For periodical inspection" से पहले "(c)" लिखा जाए।** **(ख) अध्यादेश 5(2) में निम्नांकित प्रावधान जोड़ा जाए :** **(d) The Dean of the faculties being ex-officio member of Board of Inspection shall not be appointed as Inspector, however, under special circumstances the Board of Inspections may inspect the college and institution.** **(e) While inspecting a college for the purpose of affiliation the Inspector must ensure that the conditions as enumerated in Statute 17 of the University Act are being fulfilled.** **(f) The College seeking affiliation shall arrange for complete videography alongwith some still photographs of the inspection and handover two sets of the C.Ds. to the Inspectors after completion of inspection. The expenditure on this account shall be borne by the college itself.** **(g) The Inspectors must ensure that the video recording and still photography is being done in their presence at the**	**शैक्षणिक**

	time of inspection and also ensure videography of the building of the college, infrastructure for the course for which affiliation is sought, classrooms, library, laboratory, computer lab., common room, cheque writer register, stock register, attendance register. The Inspectors shall submit one C.D. to the Registrar of the University alongwith the report of inspection and keep one set of C.D. with them. **(h) The Inspectors shall be paid honorarium @ Rs.500/- per course per inspection.** **(ग) संस्तुति की कि, निरीक्षण नियुक्त किए जाने हेतु विश्वविद्यालय के अध्यादेश 52(2) की अनुपालना की जाए।**	
मद सं. 20	विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 2 में निम्नांकित प्रावधान हैं : (1) एक संकायाध्यक्ष महाविद्यालयों के लिए, एक स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए और एक-एक प्रत्येक संकाय के लिए होगा। (2) संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा, बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए विद्या परिषद् की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। (3) संकायाध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जाएँ। (4) संकाय का अध्यक्ष अपने संकाय के अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा और संकाय से सम्बन्धित परिनियमों और विनियमों का पालन और अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान इत्यादि के संचालन और आयोजन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा। (5) महाविद्यालयों का संकायाध्यक्ष, महाविद्यालयों से सम्बन्धित परिनियमों और विनियमों के पालन के लिए और प्रशिक्षण, अनुसंधान इत्यादि के संचालन और आयोजन के लिए विभिन्न महाविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा। (6) महाविद्यालयों का संकायाध्यक्ष विभिन्न महाविद्यालयों में क्रियाकलाप का समन्वय करेगा और इसी तरह संकाय का अध्यक्ष अपने संकाय के विभिन्न विभागों और अनुभागों में क्रियाकलाप का समन्वय करेगा। (7) स्नातकोत्तर अध्ययन का संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों, विभागों और अनुभागों में स्नातकोत्तर अध्ययन का समन्वय करेगा और स्नातकोत्तर थीसिस और अनुसंधान कार्यक्रमों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगा। (8) संकायाध्यक्ष समस्त ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो महाविद्यालय या संकाय के यथोचित रूप से काम करने के लिए आवश्यक हों या जो कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएँ। उक्त प्रावधानों में से विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुशंषित नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति की जाती रही है।	**शैक्षणिक**

	अन्य दो संकाय अध्यक्षों क्रमशः **'महाविद्यालयों का संकायाध्यक्ष'** एवं **'स्नातकोत्तर अध्ययन का संकायाध्यक्ष'** की नियुक्ति की अनुशंषा अथवा प्रक्रिया का निर्धारण विद्या परिषद् द्वारा नहीं किया गया है। अतः इन दोनों संकायाध्यक्षों की नियुक्ति की अनुशंषा / प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित करने पर विचार करना : **महाविद्यालयों का संकायाध्यक्ष** विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 9.(2),(5) एवं (6) के अन्तर्गत अवधारित महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा निम्नानुसार दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी : (i) विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अथवा स्नातकोत्तर कॉलेज के प्राचार्य। (ii) उस विषय के विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर जिस विषय में कोई विश्वविद्यालय प्रोफेसर न हो। **स्नातकोत्तर अध्ययन का संकायाध्यक्ष** विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 9.(2) एवं (7) के अन्तर्गत अवधारित स्नातकोत्तर अध्ययन के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा निम्नानुसार दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी : (i) विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अथवा स्नातकोत्तर कॉलेज के प्राचार्य। (ii) उस विषय के विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर जिस विषय में कोई विश्वविद्यालय प्रोफेसर न हो।	
निर्णय	**विद्या परिषद् ने अनुशंषा की कि, महाविद्यालयों का संकायाध्यक्ष और स्नातकोत्तर अध्ययन का संकायाध्यक्ष उपर्युक्त प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार कुलपति महोदय द्वारा बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए नियुक्त किया जाए।**	
मद सं.21	विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 2(2) में निम्नांकित प्रावधान हैं : *''संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा, बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए विद्या परिषद् की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा।''* विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुशंसित नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति की जाती रही है। विद्या परिषद् द्वारा 25.06.1991 से 25.05.2007 तक अनुशंसित प्रावधान अवलोकनार्थ **परिशिष्ठ - (XXXVIII)** पर प्रस्तुत हैं, जिनके अवलोकन से ज्ञात होता है कि उनमें विरोधाभास है और वे व्यावहारिक नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान निर्धारित किए जाने पर विचार करना :- ''विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 9.(2) के अन्तर्गत अवधारित संकायों के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा निम्नानुसार दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी : (i) विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अथवा स्नातकोत्तर कॉलेज के प्राचार्य।	**शैक्षणिक**

	(ii) उस विषय के विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर जिस विषय में कोई विश्वविद्यालय प्रोफेसर न हो। ***ध्यातव्य :*** *जिसे संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाना हो, वह प्रोफेसर, प्राचार्य अथवा एसोसिएट प्रोफेसर उस संकाय के अन्तर्गत समनुदेशित विषय का हो।*	
निर्णय	**विद्या परिषद् ने उक्त प्रावधान स्वीकार करने की संस्तुति के साथ अनुशंषा की कि, उपर्युक्त प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति नए सिरे से की जाए।**	
मद सं.22	विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम 9.(2) में यह प्रावधान है कि - *"संकाय उतने होंगे, जितने कुलपति द्वारा विद्या परिषद् की सिफारिश पर अवधारित किए जाएं। प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग होंगे और उन्हें ऐसे विषयों का समनुदेशन होगा, जो कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।"* विद्या परिषद् की सिफारिश पर विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा संकाय अवधारित किए गए हैं किन्तु इन संकायों के व्यावहारिक रूप में गठन और उसके कृत्यों एवं शक्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है। अतः परिनियम के उक्त प्रावधान की परिधि में संकाय के स्वरूप एवं कृत्यों के निर्धारण करने पर विचार करना।	**शैक्षणिक**
निर्णय	**विद्या परिषद् ने अनुशंषा की कि, संकायों के व्यावहारिक रूप से गठन और उनके कृत्यों एवं शक्तियों के निर्धारण के संबंधी में समग्र विचार कर अनुशंषाएं देने हेतु निम्नांकित समिति का गठन किया :** **प्रोफेसर एल.एल. छीपा, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र - संयोजक** **डॉ. भरतराम, अध्यक्ष, मा. शि. बोर्ड, राजस्थान, अजमेर - सदस्य** **डॉ. शेरसिंह दौचाणिया, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर - सदस्य** **उपकुलसचिव (शैक्षणिक) - सदस्य सचिव** **समिति की संस्तुतियाँ विद्या परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएं।**	
मद सं.23	विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम 9(1) में यह प्रावधान है कि *"प्रत्येक संकाय में एक अध्ययन बोर्ड होगा जिसमें इतने सदस्य होंगे जो कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। संकाय का अध्यक्ष उसके अध्ययन बोर्ड का पदेन संयोजक होगा।"* प्रतिवेदन है कि, इस प्रावधान के अनुसार प्रत्येक संकाय में एक अध्ययन बोर्ड होना चाहिए, जबकि, प्रत्येक विषय में अलग-अलग अध्ययन बोर्ड बने हुए हैं। अतः परिनियम के उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार : (क) प्रत्येक संकाय में एक अध्ययन बोर्ड का गठन किए जाने पर विचार करना। (ख) प्रत्येक अध्ययन बोर्ड के अन्तर्गत समनुदेशित विषयों/पाठ्यक्रमों के लिए पृथक-पृथक पाठ्यक्रम समितियों की रचना पर विचार करना। (ग) पाठ्यक्रम समितियों के संयोजक के दायित्व निर्धारित करना।	**शैक्षणिक**
निर्णय	**संस्तुति की, कि विश्वविद्यालय के निम्नांकित परिनियमों के विरोधाभास को किस रूप में सही किया जा सकता है और तद्नुसार परिनियमों में क्या संशोधन आवश्यक होगा, इस पर एवं मद संख्या 23(ख)(ग) पर विचार मद संख्या 22 में गठित समिति द्वारा किया**	

	जाए : **परिनियम 2(4) : संकाय का अध्यक्ष अपने संकाय के अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा ....।** **परिनियम 8(1)(6) : अध्ययन बोर्ड का संयोजक।** **परिनियम 9(1) : प्रत्येक संकाय में एक अध्ययन बोर्ड होगा, जिसमें इतने सदस्य होंगे जो कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ। संकाय का अध्यक्ष उसके अध्ययन बोर्ड का पदेन संयोजक होगा।'**	
मद सं.24 **निर्णय**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश 45.2(b) के अनुसार महाविद्यालयों की सम्बद्धता से सम्बन्धित आवेदनों का निस्तारण करने हेतु निरीक्षण बोर्ड द्वारा 5 सदस्यों की एक समिति का गठन किए जाने का प्रावधान है, जिससे यह अभिप्रेत है कि, वह समिति ही सम्बद्धता के प्रकरणों का निस्तारण करेगी और निरीक्षण बोर्ड उन प्रकरणों का निस्तारण करेगा, जो उस समिति द्वारा निरीक्षण बोर्ड को सन्दर्भित किए जाएँ। चूँकि, यह प्रावधान 26.6.2006 से प्रवृत्त हैं इसलिए सम्बद्धता समिति के प्रकरण विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु रखे जाने की आवश्यकता इस अध्यादेश में परिकल्पित नहीं है। इस प्रावधान के प्रभावशील होने से पूर्व अनेक वर्षों से प्रत्येक सत्र में दी गई सम्बद्धता की सूचना विद्या परिषद् को प्रतिवेदित होती रही है। अतः उस क्रम में ही, इस बैठक में भी मद संख्या 3(2),(3),4),(5),(6) के माध्यम से प्रतिवेदन किया गया है। अतः आगे से सम्बद्धता दिए जाने का प्रतिवेदन नहीं किए जाने से अवगत होना। **अभिलिखित किया।**	**शैक्षणिक**
	विद्या परिषद् की आगामी बैठक का आयोजन 30 अगस्त, 2008 एवं वार्षिक बैठक का आयोजन 31 जनवरी, 2009 को मध्याह्न 12.00 बजे बृहस्पति भवन में होगा।	**शैक्षणिक**
	अन्त में, अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।	

कुलपति   कुलसचिव